

- भारत महत्त्वकांक्षी ऊर्जा दक्षता नीतियों के कार्यान्वयन के साथ वर्ष 2040 तक बजिली उत्पादन हेतु 300 गीगावाट के नए निर्माण से बच सकता है।
- ऊर्जा दक्षता उपायों के सफल कार्यान्वयन ने वर्ष 2017-18 के दौरान देश की कुल बजिली खपत में 7.14% की बजिली बचत और 108.28 मिलियन टन CO2 के उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दिया।
- **ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण से संबंधित पहलें:**
 - **भारतीय पहलें:**
 - **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001:**
 - यह अधिनियम ऊर्जा संरक्षण हेतु कई कार्यों के लिये नियामकीय अधिदेश प्रदान करता है जैसे: उपकरणों के मानक निर्धारण और उनकी लेबलिंग; वाणज्यिक भवनों के लिये ऊर्जा संरक्षण भवन कोड; ऊर्जा गहन उद्योगों के लिये ऊर्जा की खपत के मानदंड।
 - **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना:**
 - **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform, Achieve and Trade-PAT)** के तहत ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा गहन उद्योगों की ऊर्जा दक्षता सुधार में लागत प्रभावीता बढ़ाने के लिये एक संबद्ध बाजार आधारित तंत्र के साथ व्यापार किया जा सकता है।
 - **मानक और लेबलिंग:**
 - यह योजना वर्ष 2006 में लॉन्च की गई थी और वर्तमान में रूम एयर कंडीशनर (फ्रिज/वेरिबल स्पीड), सीलिंग फैन, रंगीन टेलीविज़न, कंप्यूटर, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर आदि उपकरणों पर लागू होती है।
 - **ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC):**
 - इसे वर्ष 2007 में नए वाणज्यिक भवनों के लिये वकिसति किया गया था।
 - यह 100kW (किलोवाट) के कनेक्टेड लोड या 120 KVA (किलोवोल्ट-एम्पीयर) और उससे अधिक की अनुबंध मांग वाले नए वाणज्यिक भवनों के लिये न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है।
 - **मांग पक्ष प्रबंधन (DSM):**
 - DSM आशय इलेक्ट्रिक मीटर की मांग या ग्राहक-पक्ष को प्रभावित करने वाले उपायों के चयन, नियोजन और उनके कार्यान्वयन से है।
 - **वैश्विक पहलें:**
 - **अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA):**
 - IEA एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य के लिये ऊर्जा नीतियों को आकार एवं दिशा प्रदान करने हेतु विश्व भर के देशों के साथ काम करती है।
 - **सस्टेनेबल एनर्जी फॉर आल (SEforALL):**
 - यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो जलवायु पर पेरिस समझौते के अनुरूप **सतत विकास लक्ष्य-7** की उपलब्धि की दिशा में तेज़ी से कार्रवाई करने के लिये संयुक्त राष्ट्र और सरकार के नेताओं, नज्दी क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी में काम करता है।
 - **पेरिस समझौता (Paris Agreement):**
 - यह जलवायु परिवर्तन पर **कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि** है। इसका लक्ष्य पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम, अधिमिनत: 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।
 - **मिशन इनोवेशन (Mission Innovation-MI):**
 - यह स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेज़ी लाने के लिये 24 देशों और यूरोपीय आयोग (यूरोपीय संघ की ओर से) की एक वैश्विक पहल है।
- **ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिये सुझाव:**
 - **ऊर्जा उपयोग व्यवहार में परिवर्तन:**
 - जीवन को आसान बनाने वाले उपकरणों के साथ आरामदायक वातानुकूलित स्थानों में रहने और काम करने की नागरिकों की उच्च महत्त्वकांक्षाओं से ऊर्जा खपत में कई गुना वृद्धि होगी।
 - भविष्य में ऊर्जा की मांग को रोकने के लिये ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा उपयोग व्यवहार के तरीकों को बदलने हेतु एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
 - **शून्य ऊर्जा भवन कार्यक्रम पर अधिक ध्यानाकर्षण:**
 - भारत के लिये निर्माण क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में लगभग शून्य ऊर्जा भवन (NZEB) कार्यक्रम के वसितार पर जोर देना महत्त्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक भवनों के लिये प्रती इकाई क्षेत्र में कम ऊर्जा उपयोग प्राप्त करने हेतु एक ढाँचा वकिसति करना है।
 - **वदियुत अधिनियम में संशोधन:**
 - इसके अलावा भारत के वदियुत क्षेत्र में वदियुत अधिनियम के संशोधन के माध्यम से कई नीतितगत स्तर के बदलाव के साथ सुधार की उम्मीद है।
 - **स्मार्ट मीटर की स्थापना:**
 - कम बलिंग क्षमता के कारण राजस्व हानि, भारी संचरण और वतियुत हानि, वदियुत खपत की नगिरानी आदि जैसे मुद्दों के समाधान के रूप में प्रमुख पहलों में से एक स्मार्ट मीटर की स्थापना है।
 - तेज़ गति से स्मार्ट मीटरों की स्थापना से भारत को बड़े पैमाने पर ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों को सुवधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है।
 - **ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप:**
 - ऊर्जा दक्ष जीवनशैली अपनाने से भारत की ऊर्जा प्रणाली में बेहदरी के लिये परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक प्रोत्साहन मलिया। कम कार्बन संक्रमण प्राप्त करने हेतु ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप सबसे अधिक लागत प्रभावी साधनों में से एक है।

